न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/47/2019	22–07–2019	24–09–2019

01– रामसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हांसपुर खुर्द तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान।

–अपीलाण्ट

बनाम

01– उप तहसीलदार हरसौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर

–रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय उप तहसीलदार हरसौली दिनांक 10.05.2019 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 01/2018

उपस्थितः–

01–श्री भूपेन्द्र सिंह शेखावत –वकील अपीलाण्ट

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील उप तहसीलदार हरसौली के आदेश दिनांक 10.05.2019 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम झाड़का की सरकारी गै0मु0 रास्ता आराजी खसरा नम्बर 187 रकबा 1.06 बीघा में 0.02 है0 पर अवैध कब्जा करने पर अवैध कब्जे से बेदखल करने व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट को सुना गया। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम झाड़का की सरकारी गै0मु0 रास्ता आराजी खसरा नम्बर 187 रकबा 1.06 बीघा में 0.02 है0 पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 20.08.2018 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिकमी मानकर बिना सुने लगान से दण्डित किया। उक्त आराजी से संबंधित प्रकरण माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटकासिम के न्यायालय में विचाराधीन है। अतः अपीलार्थी को पैनल्टी से मुक्त किया जाकर उप तहसीलदार हरसौली के आदेश दिनांक 10.05.2019 निरस्त फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 10.05.2019 के विरूद्व दिनांक 22.07.2019 को पेश किया। जो करीब 2 माह 12 दिन के विलम्ब से पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि प्रकरण पूर्व से ही माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटकासिम में विचाराधीन है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। उप तहसीलदार हरसौली का आदेश दिनांक 10.05.2019 निरस्त कर उप तहसीलदार हरसौली को आदेशित किया जाता है कि उक्त आराजी से संबंधित प्रकरण में माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटकासिम के अंतिम निर्णय अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2019 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)